

575/26

पत्रावली का पेश हुयी वापी व उनके
ककील अनुपालित मूल वाड का नितारण
से युक्त व मूल वाड का नितारण होने
से प्रथम पत्र अलग से चलाये जाने
का कोटि अधिले नही होने से मूल वाड
के साथ-साथ उक्त अधिले इती स्तर पर
वारिज दिया जाता व पत्रावली फिल शुमार
होकर सबिले इफतर हो त्वम् नम्बर से इती

सहायक कलक्टर
(कास्ट-ट्रेक) चौहटन